

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक:—गो.प्र./ए.सी.आर./2003-04/प्रमाण-पत्र/२१५१७-५१६ दिनांक :—५/८/१३

अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागृह,
बीकानेर ।

विषय:— वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के संदर्भ में निर्देश/दिशानिर्देश।

प्रसंग:— आपका पत्र संख्या 1838 दिनांक 02.07.2013

—000—

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिन लोक सेवको का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण हो चुका है उनसे ए.सी. आर. के मुख्यपृष्ठ पर एक कोने में अवलोकन किया लिखकर हस्ताक्षर मय तिथि संबंधित लोक सेवक से कराया जाना उपयुक्त होगा । भवदीय

अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज-जयपुर/जोधपुर/उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मुख्यालय कारागार के परिपत्र संख्या गो.प्र./ए.सी.आर./2003-04/परिपत्र/6955-96 दिनांक 16.5.2013 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि आप भी उक्तानुसार कार्यवाही करावें ।
2. अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी,केन्द्रीय/जिला उप कारागृह समस्त राजस्थान एवं उपाधीक्षक, महिला सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर व प्रगारी, किशोर सुधारगृह, जैतारण तथा प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या-1 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करें ।
3. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर ।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, अति.महानिदेशक कारागार राजस्थान,जयपुर ।
5. मुख्यालय कारागार, जयपुर में कार्यरत समस्त कर्मचारीगण (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अतिरिक्त) जिनके द्वारा वर्ष 2012-13 की ए.सी.आर. की पूर्ति कर प्रस्तुत कर दी गई हो, को निर्देशित किया जाता है कि वो किसी भी कार्य दिवस को ए.सी.आर. शाखा के संबंधित लिपिक से समर्पक कर वर्ष 2012-13 की ए.सी. आर. का अवलोकन कर उक्तानुसार हस्ताक्षर करें। (वास्ते नोटिस बोर्ड)
4. रक्षक पत्रावली ।

अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर